न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई

(पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 20/2021
दायर दिनांक – 15.02.2021

उनवान

छीतर पुत्र धोकल्या जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1. बद्री पुत्र खेमा जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
2. गोपाल पुत्र धोकल्या जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
3. रामा पुत्र भोलू जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
4. राजाराम पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
5. रामअवतार पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
6. बबीता पुत्री रामसहाय जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
7. रामप्यारी पत्नी रामसहाय जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
8. नारायण पुत्र चन्दा जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
9. गेखा पत्नी चन्दा जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
10. गेन्दी पुत्री चन्दा जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
11. धापू पुत्री चन्दा जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
12. मोत्या पुत्री चन्दा जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
13. तहसीलदार निवाई
14. उप पंजीयक निवाई

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री बनवारी लाल यादव अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार जाट अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक : 12.04.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 882 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की संयुक्त आराजियात है। जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा निहित है व शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपने हिस्से की अपनी कृषि आराजीयात को शारीरिक एवं मानसिक रुप से धारित किये हुये है व काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के

मध्य मौके पर काफी वर्षो पूर्व से भूमि हिस्से अनुसार विभाजित होने के बावजूद भी सीमाएं निश्चित नही होने के कारण से आये दिन विवाद होने की स्थिति बनी रहती है। वादग्रस्त भूमि का विधिक बंटवारा नही होने के कारण से मौके पर अपने हिस्से की भूमि को प्रार्थी किसी प्रकार से विकसित करने में भी असमर्थ हो रहा है। इसलिये भूमि का मौके व कब्जे काश्त के अनुसार विधिवत रुप से तकासमा करवाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा शीट में पृथक – पृथक हिस्से अनुसार अंकन करवावे। प्रार्थी द्वारा कडी मेहनत करके व रुपये खर्च करके विकसित व बेहतर की गई है अपनी उक्त भूमि को जिस पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है उस भूमि पर अप्रार्थीगण अपनी होना बताकर बिना विधिवत तकासमा हुये उक्त भूमि में कॉलोनियां काटकर बिना भू रुपान्तरण करवाये ही भूमि को रहन, दान, बेचान करने पर आमादा है जिससे मौके पर लडाई झगडा होने का अंदेशा उत्पन्न हो गया है। इसलिये प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द करवावे कि उक्त आराजियात का जब तक मौके व कब्जे के अनुसार विधिवत तकासमा नही हो जाता है तब तक उक्त भूमि के किसी भी भू – भाग को रहन, दान, बेचान नही करें तथा किसी भाग में कच्चा – पक्का निर्माण नही करें। ता – फैसला वाद पाबन्द रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की और से जवाब – प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा सही एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाकर वाद पेश किया है जो खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने – अपने हिस्से पर काबिज है मौके पर कोई विवाद नही है। मात्र वादपत्र पेश करने हेतु मौके पर विवाद की बाते लिखी है। अप्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि को रहन, दान, बेचान करवाने का पूरा अधिकार है इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी को पाबन्द करवाने का कतई अधिकारी नही है जब अप्रार्थी के हिस्से से प्रार्थी का कोई वास्ता नही है तो प्रार्थी को कोई क्षति व नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है लिहाजा प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस हेतु दिंनाक 04.04.2022 को पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ता–फैसला वाद पाबंद करवाने हेतु कथन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने – अपने हिस्से का बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। अप्रार्थी भी मौके पर कब्जे काश्त अनुसार तकासमा करने में सहमत है किन्तु प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा दिया गया है जिससे अप्रार्थी अपने जायज हक व अधिकारों से वंचित हो गये है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0नं0 882 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा ग्राम केरोद पटवार मण्डल भांवता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में स्थित कृषि भूमि है। किसी भी

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निर्णय किये जाते समय न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु निम्नांकित तीन बिन्दु होते है, प्रथम – प्रथम दृष्टया प्रकरण, द्वितीय सुविधा का संतुलन, तृतीय अपूर्णनीय क्षति। सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया बिन्दु का विचारण किया गया चूंकि प्रार्थी एक सद्भावी खातेदार है एवं एक खातेदार को अपनी कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद/प्रार्थना पत्र पेश करने का विधिक अधिकार होता है। प्रकरण में संयुक्त खातेदारी में स्थित भूमि के विक्रय एवं उसके आवासीय प्रयोजनार्थ (प्लाटिंग) किये जाने बाबत कथन किया गया है एवं विधिवत विभाजन नही होने तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी एक संयुक्त कृषि भूमि है जिसे बिना विभाजन के आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय किया जाना उचित नही है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। द्वितीय सुविधा का संतुलन बिन्दु के अन्तर्गत न्यायालय का यह अभिमत है चूंकि प्रश्नगत भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी मे स्थित है एवं विधि अनुसार संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर समान अधिकार होता है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में भी प्रार्थी का अप्रार्थीगण के समान ही अधिकार निहित होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल प्रतीत होता है। तृतीय अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा यह तय किया जाना हैं कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में उल्लेखित भूमि संयुक्त कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का विक्रय किया जा रहा है और अविधिक पूर्ण रीति से कृषि भूमि की प्लाटिंग की जा रही है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान यह कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय/प्लॉटिंग हेतु कार्य मे ली जा रही है। न्यायालय विद्वान अधिवक्ता के कथन से सहमति नही रखती है क्योकि नियमानुसार बिना विभाजन करवाये संयुक्त खातेदारी में स्थिति आराजियात के विशेष भाग का ना तो विक्रय किया जा सकता है ना ही किसी विशेष भू भाग का भू रुपान्तरण करवाये बिना कृषि से गैर कृषि कार्य में ऐसी भूमि का उपयोग कृषि से अन्यथा उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण मे अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा यह माना गया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से में प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिवत विभाजन करवाये भूमि को रहन, दान, बेचान करने पर कोई आपत्ति नही है परन्तु प्रार्थी को आंशका है कि चूंकि अप्रार्थीगण कृषि भूमि का विधिवत विभाजन हुए बिना उक्त भूमि में कॉलोनियॉ काटकर बिना भू – रुपान्तरण करवाये भूमि को रहन, दान, बेचान कर सकते है और यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित पाया गया है। अतः उक्तानुसार तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 882 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम केरोद को रहन, दान, बेचान नही करें, बाधा, मजाहमत नही करें, कच्चा – पक्का निर्माण नही करें। मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। शामिल मूल वाद रहे।

आदेश आज दिनांक 12.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/04/2022

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी निवाई